



2026:AHC:27880

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 527 सन् 2026

नफीस हैदर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: पंकज बरनवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 54

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज बरनवाल, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल और गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है: -

I. परमादेश की प्रकृति में प्रतिवादियों को राजस्व न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण संख्या **471** सन् **2025** (कम्प्यूटरीकृत वाद सं. **AL2025143600471**); के निस्तारण तक ग्राम-इमलो, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-जौनपुर में स्थित अराजी संख्या **519** के/0.097 एकड़ पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे तथा नफीस हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश देन का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

II. परमादेश की प्रकृति में प्रतिवादी संख्या **2** को राजस्व न्यायालय में लंबित पुनरीक्षण संख्या **471** सन् **2025** (कम्प्यूटरीकृत वाद सं. **AL2025143600471**); नफीस हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में हस्तक्षेप न करने का आदेश देन का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

III. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित समझे।

IV. प्रतिवादी के खिलाफ याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका की लागत का अधिनिर्णय करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से दायर किया गया पुनरीक्षण, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, 20.02.2025 से प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेश पत्र की प्रति यह प्रदर्शित करने के लिए रखी कि मामला तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका का अंत में प्रतिवादी संख्या 2-राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, उपरोक्त संशोधन पर शीघ्रता से निर्णय ले।

फरवरी 9, 2026

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"